जबरन वादीगण के हिस्से 1/3 की भूमि ये, बेदखल करने की धमकी देते है। वादीगण के हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि को इस वर्ष जब वादीगण हंकाई, जुताई व फसल काश्त करने गये तो प्रतिवादीगण 4 ता 10 हाथों में लकड़िया एवं कुल्हाड़िया लेकर खेत पर आ गये तथा काश्त करने में बाधा उत्पन्न की एवं लडाई झगडा करते हुये वादीगण कें साथ लकडीया व कुल्हाडीयो से गंभीर मारपीट की जिससे वादीगण कें शरीर पर काफी चोटे आयी है। वादिगण ने प्रतिवादीगण 4 ता 10 के विरूद्ध पुलिस थाना दूनी पर मुकदमा भी दर्ज करवाया है जो थाना दूनी में अन्वेक्षणाधीन है। वादीगण गरीब कमजोर वर्ग के काश्तकार पेशा व्यक्ति है जिनकी खातेदारी व कब्जे की भूमि को प्रतिवादीगण 4 ता 10 जबरन शक्ति के बल पर छीनने पर आमादा है और इसी गरज से उन्होने वादीगण के साथ गंभीर मारपीट की है। यदि प्रतिवादीगण 4 ता 10 को जरियें स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया गया तो वे जबरन वादीगण की भूमि पर कब्जा कर लेगे तथा बेदखल कर देगें। वादीगण अपनी भूमि से वंचित हो जावेगे तथा नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से किया जाना संभव नही होगा। वादीगण का परिवार भुखे मर जावेगा ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण 4 ता 10 को पाबंद किया जाना आवश्यक एवं न्यासंगत है। यह कि बिनाय दावा आज से लगभग 20 दिन पूर्व पैदा हुआ जब वादीगण अपने हिस्से की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूति को हंकाई जुताई करने खेत पर गये तो प्रतिवादीगण 4 ता 10 ने मौके पर आकार लडाई झगडा किया, मारपीट की तथा जबरन भूमि पर कब्जा करने की धमकी देने की धमकी देने से वाद कारण आज तक लगातार उत्पन्न हो रहा है। यह कि प्रतिवादीगण सं.1 ता 3 भूमि के सहखातेदार है इस कारण उन्हे पक्षाकार बनाया गया है तथा इनके खिलाफ किसी प्रकार की रिलिफ नही चाही गई है।यह कि विवादित आराजीयात एवं पक्षकारान श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होने से प्रस्तुत दावा का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त हैं। यह कि वाद अ0धारा 92 ए, 188 राज0 टीनेन्सी एक्त के तहत पूर्ण कोर्ट फीस पर अंदर मियाद पेश है।

अतः वादीगण की अधियाचना है कि –

अ वाद बहक वादीगण विरूध प्रतिवादीगण 4 ता 10 बाबत स्थाई निषंधाज्ञा डिकी किया जाकर प्रतिवादीगण 4 ता 10 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे स्वयं जरिये ऐजेंट नौकर चाकर एवं अन्य पारिवारिक सदस्यो के ग्राम बालापुरा तहसील देवली में स्थित आराजी भूमि खसरा नं. 75 रकबा 0.33 है0, खसरा नं. 112 रकबा 0.85 है0 में वादीगण के हिस्सा 1/3 की भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करें, वादीगण को उनके हिस्से की भूमि से बेदखल नही करें तथा वादीगण के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग एवं फसल बोने,काटने,लाने ले जाने में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नही करे तथा पाबंद रहे।

ब खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

स अन्य सहायता जो वादीगण के हित में लाभप्रद हो । प्रतिवादीगण से दिलवायी जावे।

13.2.25

जबरन वादीगण के हिस्से 1/3 की भूमि ये, बेदखल करने की धमकी देते है। वादीगण के हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि को इस वर्ष जब वादीगण हंकाई, जुताई व फसल काश्त करने गये तो प्रतिवादीगण 4 ता 10 हाथों में लकड़िया एवं कुल्हाड़िया लेकर खेत पर आ गये तथा काश्त करने में बाधाा उत्पन्न की एवं लडाई झगडा करते हुये वादीगण कें साथ लकडीया व कुल्हाडीयो से गंभीर मारपीट की जिससे वादीगण कें शरीर पर काफी चोटे आयी है। वादिगण ने प्रतिवादीगण 4 ता 10 के विरूद्ध पुलिस थाना दूनी पर मुकदमा भी दर्ज करवाया है जो थाना दूनी में अन्वेक्षणाधीन है। वादीगण गरीब कमजोर वर्ग के काश्तकार पेशा व्यक्ति है जिनकी खातेदारी व कब्जे की भूमि को प्रतिवादीगण 4 ता 10 जबरन शक्ति के बल पर छीनने पर आमादा है और इसी गरज से उन्होने वादीगण के साथ गंभीर मारपीट की है। यदि प्रतिवादीगण 4 ता 10 को जरियें स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया गया तो वे जबरन वादीगण की भूमि पर कब्जा कर लेगे तथा बेदखल कर देगें। वादीगण अपनी भूमि से वंचित हो जावेगे तथा नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से किया जाना संभव नही होगा। वादीगण का परिवार भुखे मर जावेगा ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण 4 ता 10 को पाबंद किया जाना आवश्यक एवं न्यासंगत है। यह कि बिनाय दावा आज से लगभग 20 दिन पूर्व पैदा हुआ जब वादीगण अपने हिस्से की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूति को हंकाई जुताई करने खेत पर गये तो प्रतिवादीगण 4 ता 10 ने मौके पर आकार लडाई झगडा किया, मारपीट की तथा जबरन भूमि पर कब्जा करने की धमकी देने धमकी देने से वाद कारण आज तक लगातार उत्पन्न हो रहा है। यह कि प्रतिवादीगण सं.1 ता 3 भूमि के सहखातेदार है इस कारण उन्हे पक्षाकार बनाया गया है तथा इनके खिलाफ किसी प्रकार की रिलिफ नही चाही गई है।यह कि वादित आराजीयात एवं पक्षकारान श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होने से प्रस्तुत दावा श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त हैं। यह कि वाद अ0धारा 92 ए, राज0 टीनेन्सी एक्त के तहत पूर्ण कोर्ट फीस पर अंदर मियाद पेश है।

अतः वादीगण की अधियाचना है कि –

वाद बहक वादीगण विरूध प्रतिवादीगण 4 ता 10 बाबत स्थाई निषंधाज्ञा डिक्री या जाकर प्रतिवादीगण 4 ता 10 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया वे स्वयं जरिये ऐजेंट नौकर चाकर एवं अन्य पारिवारिक सदस्यो के ग्राम नापुरा तहसील देवली में स्थित आराजी भूमि खसरा नं. 75 रकबा 0.33 है0, खसरा नं. 112 रकबा 0.85 है0 में वादीगण के हिस्सा 1/3 की भूमि पर जबरन जा नहीं करें, वादीगण को उनके हिस्से की भूमि से बेदखल नही करें तथा वादीगण के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग एवं फसल बोने,काटने लाने ले जाने में

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादीगण 1 ता 2 व 4 ता 10 द्वारा पर्याप्त समय देने के बावजूद जवाब नहीं देने से जवाब बन्द किया गया।

प्रतिवादी संख्या 3 असालतन/वकालतन अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र वादी पी. डब्ल्यू–1 हंसराज पुत्र पोखर जाति रेबारी उम्र बालिग निवासी बालापुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0 व पी. डब्ल्यू–2 गोपी पुत्र पोखर जाति रेबारी उम्र बालिग निवासी बालापुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0 का पेश किया।

साक्ष्य पी. डब्ल्यू–1 दस्तावेज प्रदर्श करवाये जो इस प्रकार हैः–प्रदर्श–1 नक्शा ट्रेस, प्रदर्श–2 जमाबन्दी सम्वत 2069–72, प्रदर्श–3 गिरदावरी सम्वत 2071 पेश किये है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

बहस के दोरान पत्रावली का अवलोकन करने पर यह तथ्य सामने आये कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 व 4 ता 10 असालतन/वकालतन अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

पत्रावली पुनः बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यो का दोहरान करते हुए वाद वादीगण पक्ष डिक्री करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श–2, जमाबंदी सम्वत 2069–72 के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण विवादित आराजी खसरा नं. 75 रकबा 0.33 है0 खसरा नं. 112 रकबा 0.85 है0 के खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। चूंकि उक्त विवादित आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की सहखातेदारी की भूमि है और प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 10 का इस विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध दृष्टिगत नहीं होता हैं। उक्त वाद वर्णित आराजी में प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 10 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई है। अर्थात प्रतिवादी को इस वाद बाबत कोई आपति नहीं है। ऐसी स्थिति में वादीगण के हितो व अधिकार का संरक्षण करना न्यायालय का कर्तव्य है । वादीगण राजस्व रिकॉर्ड मे खातेदार की हैसियत रखने के कारण प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 10 को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाये जाने से वाद स्वीकार किया जाता है। अतः प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 10 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से हमेशा हमेशा पाबन्द किया जाता है कि वे स्वंय जरिये एजेंट नोकर, चाकर एवं अन्य पारिवारिक सदस्यो के खातेदारी की आराजी भूमि ग्राम, बालापुरा तहसील देवली में स्थित आराजी भूमि खसरा नं. 75 रकबा 0.33 है0, खसरा नं. 112 रकबा 0.85 है0 में वादीगण के हिस्सा 1/3 की भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करें, वादीगण को उनके

13.2.25

Scanned with OKEN Scanner

हिस्से की भूमि से बेदखल नही करें तथा वादीगण के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग एवं फसल बोने, काटने, लाने ले जाने में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नही करे तथा पाबंद रहे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 13.02.2025 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ो 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी.....

मुकाम देवली व अलजाम श्री मनोज कुमार मीना उपखण्ड अधिकारी देवली आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक..... .

उनवानी दावाः

1. बहादूर पुत्र पोखर जाति रेबारी निवासी बालापुरा तहसील देवली
2. हंसराज पुत्र पोखर जाति रेबारी निवासी बालापुरा तहसील देवली
3. गोपी पुत्र पोखर जाति रेबारी निवासी बालापुरा तहसील देवली
4. तुलसी बेवा पोखर जाति रेबारी निवासी बालापुरा तहसील देवली

–वादीगण–

बनाम

1. प्रभु पुत्र काना जाति रेबारी निवासी बालापुरा तहसील देवली
2. हरला पुत्र काना जाति रेबारी निवासी बालापुरा तहसील देवली
3. देवीलाल पुत्र गंगाराम जाति गुर्जर निवासी बालापुरा तहसील देवली
4. घासी पुत्र भोपाल जाति गुर्जर निवासी बालापुरा तहसील देवली
5. शंकर पुत्र भोपाल जाति गुर्जर निवासी बालापुरा तहसील देवली
6. बन्ना पुत्र गोपी जाति गुर्जर निवासी बालापुरा तहसील देवली
7. शिवचरण पुत्र बन्नालाल जाति गुर्जर निवासी बालापुरा तहसील देवली
8. हंसराज पुत्र बन्नालाल जाति गुर्जर निवासी बालापुरा तहसील देवली
9. लक्ष्मीनारायण पुत्र गोपी जाति गुर्जर निवासी बालापुरा तहसील देवली
10. भोपाल पुत्र गोपी जाति गुर्जर निवासी निवासी बालापुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रतिवादीगण–

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 133 सन् 2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री आलोक कुमार शर्मा अधिवक्ता वादीगण मिनजामिन मुद्दई एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है ..

आदेश

वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाये जाने से वाद वादीया स्वीकार किया जाता है। अतः प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से हमेशा हमेशा पाबन्द किया जाता है कि वह स्वंय जरिये एजेंट नोकर, चाकर एवं अन्य पारिवारिक सदस्यो के वादीया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 101 खसरा नम्बर 139 रकबा 0.16 है0, खसरा नम्बर 140/314 रकबा 0.10 है0 कुल किता–2, कुल रकबा 0.26 है0 वाके ग्राम भींवड़ावास पटवार हल्का गांवड़ी तहसील देवली जिला टोक राज0 पर जबरन कब्जा नही करे, वादीया को उक्त भूमि से बेदखल नहीं करे तथा वादीया के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग एवं फसल बोने, काटने, लाने ले जाने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें। तदनुसार डिकी पर्चा जारी हो।

13.2.25

Scanned with OKEN Scanner

नेजी.....मुवलिक.....बाबत् .....
.....खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह ..... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक ..... की अदा करें।
बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 13 माह 02 सन् 2025 को जारी किया गया।

दस्तख्त .....
ओहदा .....उपखण्ड अधिकारी केवली (टोंक)

मुहर

मुद्दई	रू.	पै.	मुद्दायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned with OKEN Scanner